

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०स०-३/जी०(ए०सी०/डी०सी०)-१७८-२४/२०१२  
आदेश

A6  
11/01/2013

मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.01.2013 को जिला पदाधिकारी के साथ विडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2011-12 (दिनांक 30.09.2012 तक) सार विपत्र (ए०सी० विपत्र) पर निकासी की गई राशि के विरुद्ध समायोजित किये जाने वाले डी०सी० विपत्र पर समीक्षा हुई थी। बैठक में वित्त विभाग के द्वारा जो सूची विवरणी उपलब्ध करायी गई उसमें 441.19 करोड़ रु० का सार विपत्र समायोजन के लिए अवशेष दर्शाया गया है। विभाग में उपलब्ध कागजातों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनों के अनुसार विभागीय ए.सी./डी.सी. प्रतिवेदन में 128.86 करोड़ रु० का डी.सी. विपत्र समर्पित करना शेष रह गया है। इससे स्पष्ट है कि विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय में समर्पित डी.सी. विपत्रों का समायोजन नहीं हो सका है।

2-मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित डी०सी० विपत्र समायोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को संसूचित की जानेवाली निर्धारित तिथियों को आवश्यक कागजातों के साथ उपस्थित रहने हेतु निम्न प्रकार टीम का गठन किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधीनस्थ कार्यालय का नाम जिसका डी०सी० विपत्र समायोजन किया जायेगा ।
1	2	3
1	1- श्री शिव वचन प्रसाद, अवर सचिव, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग 2- श्री अशोक कुमार दास, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार 3- श्री देवानंद कुंवर, प्रशाखा पदाधिकारी 4- श्री देवेन्द्र राम, सहायक	अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (मुख्यालय/निदेशालय)
2	प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पटना	संबंधित प्रमंडल एवं प्रमंडल अंतर्गत जिला कल्याण कार्यालय। जिला स्तर पर निम्न पदा०/कर्मियों का दायित्व होगा- 1-प्रमंडल के सभी जिला कल्याण पदाधिकारी। 2-जिलों के प्रधान सहायक 3-जिलों के रोकड़पाल
3	प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत	-तदैव-
4	प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मगध प्रमंडल, गया	-तदैव-
5	प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, भागलपुर एवं दरभंगा	-तदैव-
6	प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल एवं सारण प्रमंडल	-तदैव-
7.	प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पूर्णिया प्रमंडल	-तदैव-
8.	प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर प्रमंडल	-तदैव-

3-प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण के स्तर पर गठित टीम उपरोक्त सारणी के क्रमांक-1 के पदाधिकारी से नियमित सम्पर्क में रहेंगे ।

4-डी0सी0 विपत्र समायोजन के निर्धारित समय पर प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि महालेखाकार कार्यालय, पटना में संसूचित तिथियों को उपस्थित होकर संबंधित लंबित सार विपत्रों (ए.सी.) एवं समर्पित डी.सी. विपत्रों का समायोजन कराना सुनिश्चित करेंगे एवं समायोजनपरान्त समायोजित संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसकी छायाप्रति विभाग में अपने अग्रसारण पत्र के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

5-प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।



सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-3 / जी0(ए0सी0 / डी0सी0)-178-24 / 2012- 46 पटना, दिनांक- 11/01/2013

प्रतिलिपि- 1-श्री शिव वचन प्रसाद, अवर सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग 2-श्री देवानंद कुवंर, प्रशाखा पदाधिकारी 3-श्री अशोक कुमार दास, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / जिला के सभी प्रधान सहायक / सभी रोकड़पाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-3 / जी0(ए0सी0 / डी0सी0)-178-24 / 2012- 46 पटना, दिनांक- 11/01/2013

प्रतिलिपि- महालेखाकार(ले0एवं ह0) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित अनुरोध है कि गठित टीम दल (तालिकाबद्ध क्रमांक 1 से 8) हेतु तिथि निर्धारण कर संसूचित करने की कृपा करेंगे ताकि निर्धारित तिथियों को गठित टीम दल महालेखाकार कार्यालय में उपस्थित होकर डी. सी. विपत्रों का समायोजन करा सकें ।



सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-3 / जी0(ए0सी0 / डी0सी0)-178-24 / 2012- 46 पटना, दिनांक- 11/01/2013

प्रतिलिपि-अपर सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि अपने स्तर से भी महालेखाकार कार्यालय को पत्र लिखकर तिथि निर्धारण कराने की कृपा की जाये ।



सरकार के अपर सचिव ।